संख्या–1009/XXVIII(1)-2008–19/2005 **TC-IV**

प्रेषक,

विजेन्द्र पाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 29 अगस्त, 2008

विषयः **उत्तराखण्ड के ऐसे अभ्यर्थी जोकि चिकित्सा शिक्षा हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नही है,को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने हेतु बैंक ऋण पर अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–26प/चि0शि0/28/2006/13223, दिनांक 16अप्रैल,2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में उत्तराखण्ड के ऐसे अभ्यर्थी जोकि चिकित्सा शिक्षा हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नही है,को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने हेतु बैंक ऋण पर अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सत्र 2006–07 तथा सत्र 2007–08 हेतु धनराशि रू0 47.60लाख **(रू0 सैतालिस लाख साठ हजार मात्र)** तथा 09 अभ्यर्थियों हेतु सत्र 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 हेतु धनराशि रूपये 16.95लाख (रूपये सोलह लाख पच्चानवे हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 64.55लाख(रूपये चौसठ लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि उत्तराखण्ड के ऐसे अभ्यर्थी जोकि चिकित्सा शिक्षा हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नही है,को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने हेतु बैंक ऋण पर अनुदान हेतु ही व्यय की जायेगी।
2. उक्त व्यय शासनादेश संख्या–795/XXVIII-5.2006.156/2006 दिनांक 28सितम्बर,2006 में उल्लिखित नियम/शर्तो के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
3. जो धनराशि जिस कार्य हेतु जिस मद के लिए स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
4. शासनादेश दिनांक 28सितम्बर,2006 में उल्लिखित शर्त के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों से त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र भरवाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही अनुदान की स्वीकृति प्रदान करना सुनिश्चित करें।
5. उपभोग की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण/उपभोग प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

d letter

6. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।

7. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –आयोजनागत–05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–पाश्चात्य शिक्षा पद्धति–03– शिक्षा–0305–आर्थिक रूप से कमजोर मेडिकल छात्रों हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–256(P) –वित्त अनुभाग –3 /2007 दिनांक 25 अगस्त, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजेन्द्र पाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग 3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

d letter